पत्रांक सं0–11/आ. 2. आ. नी–03/2006 का0 3025/

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक– 11 सितम्बर, 2007

विषयः– सवर्ण हिन्दू पिता और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की माता से उत्पन्न संतान की जाति का निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं0–605 दिनांक–11.12.1985 (परिपत्र सं0–99 दिनांक–03.03.1978 का संशोधन) द्वारा प्रावधान किया गया है कि वैध विवाहित सवर्ण हिन्दू पिता और अनुसूचित जाति की माता से उत्पन्न संतान को ही अनुसूचित जाति की श्रेणी में शुमार किया जा सकता है एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं0–106 दिनांक–03.03.1979 द्वारा प्रावधान किया गया है कि सवर्ण हिन्दू पिता एवं अनुसूचित जनजाति की माता तथा गैर आदिवासी क्रिश्चियन पुरुष एवं क्रिश्चियन आदिवासी माता से उत्पन्न संतान को यदि अनुसूचित जनजाति का समुदाय अनुसूचित जनजाति के रूप में स्वीकार कर ले तो उसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है।

2. सवर्ण हिन्दू एवं क्रिश्चियन पिता और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की माता से उत्पन्न संतान की जाति का निर्धारण एवं सामाजिक मान्यता विषयक बिहार विधान सभा सचिवालय की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति 1987–88 का 19वाँ प्रतिवेदन में अनुशंसा की गई है कि चूँकि समाज पितृसत्तात्मक है, इसलिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति माता तथा गैर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति पिता से उत्पन्न संतान को सामान्य रूप से पिता की जाति का माना जाय।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं0–6445/2000, अंजन कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में दिनांक–14.02.2006 को पारित आदेश में व्यवस्था की गई है कि सवर्ण हिन्दू पिता एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की माता से उत्पन्न संतान न तो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के दर्जे का दावा कर सकते हैं और न ही सरकारी नौकरियों में आरक्षित श्रेणी के तहत रोजगार पा सकते हैं।

4. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि गैर अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जनजाति के पिता और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की माता से उत्पन्न संतान को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि की मान्यता नहीं दी जाय।

5. एतद् संबंधी पूर्व निर्गत परिपत्र सं0–99 दिनांक–03.03.1978, परिपत्र सं0–605 दिनांक–11.12.1985 तथा परिपत्र सं0–106 दिनांक–03.03.1979 को रद्द किया जाता है।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

11/9/07

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव